

राजस्थान सरकार
शिक्षा ग्रुप-1.१ विभाग
=====

क्रमांक: एफ 13१30१ शिक्षा-1/84

जयपुर, दिनांक 10 जुलाई, 1987

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
2142 अन्सारी रोड, सरियागंज,
नई दिल्ली।

विषय:- अंगी माध्यम के विद्यालयों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में।
=====

महोदय,

निर्देशानुसार निम्नलिखित शिक्षण संस्थाओं को सत्र 1987-88 से आप
द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर यदि सम्बद्धता प्रदान की जाती है तो
राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र.सं. शिक्षण संस्था का नाम

1. सवाई मानसिंह स्कूल, जयपुर।

2. विद्याश्रम स्कूल, जयपुर।

भवदीय,

sd/

विरोभाधिकारी शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही
केतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर।
3. मंत्री/सचिव, सम्बन्धित शिक्षण संस्था।
4. रक्षित पत्रावली।

विरोभाधिकारी शिक्षा (२/१)

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान - बीकानेर ।

कार्यालय-आदेश
=====

श्रीजी माध्यम एवं एनओसीओआरओटीओ पाठ्यक्रम के अन्तर्गत
संबन्धित भारतीय विद्या भवन, विद्या आश्रम केओएमओ मुन्शी मार्ग जयपुर के
उच्च प्राथमिक स्तर की स्थाई मान्यता दिनांक 1-7-88 से प्रदान की
जाती है । विद्यागीय नियमों की पालना न करने पर स्थाई मान्यता
रद्द की जा सकती है ।

६०
॥ सलिल के.पट्टार ॥

निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान - बीकानेर ।

क्रमिक:- शिक्षा/प्राथ/सी/19403/20/87-90 दिनांक : 19/1/90

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक/पुरुष/महिला/शिक्षा - विभाग जयपुर ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी/छात्र संस्थान/ जयपुर शिवालय ।
3. सचिव विद्या आश्रम केओएमओ मुन्शी मार्ग, जयपुर..।
4. अनुभाग अधिकारी अनुदान अनुभाग शिक्षा निदेशकालय, राज० बीकानेर ।
5. रक्षित पंजिका ।

Amr

निदेशक
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान - बीकानेर ।